निदेशालयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई.टी.आई. परिसर, अलीगंज, लखनऊ- 226024

संख्या : 639 /उ.प्र.कौ.वि.मि./2025-26/ Camp Office

दिनांकः 09 फरवरी, 2026

कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन में लक्ष्य आवंटन के लिए एक पारदर्शी नीति की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2025 को आयोजित बैठक में यह निर्देश दिये गये थे कि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन में सूचीबद्ध ऐसे प्रशिक्षण प्रदाताओं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लक्ष्य आवंटित किया गया है को श्रेणीवार (A, B, C & D) सूची तैयार की जाये तथा उनकी परफारमेंस प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की रैंकिंग के आधार पर की जाये।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु तत्कालीन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं के वर्गीकरण (A/B/C/D/E) की व्यवस्था निर्धारित मानकों के आधार पर की गयी थी **(संलग्न)**। वर्ष 2025-26 के दौरान कई प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा इस व्यवस्था की कुछ कमियां मिशन के सम्मुख प्रस्तुत की गयी जो प्रशिक्षण प्रदाताओं के नियंत्रण में नहीं थी परन्तु जिस कारण उनकी श्रेणी प्रभावित हुई। जैसे- समय से मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन न करना, जिला समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समय से सेवायोजन पुष्टि/सत्यापन न होना इत्यादि। इन समस्याओं के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि प्रशिक्षण प्रदाता की ग्रेडिंग एवं लक्ष्य आवंटन व्यवस्था का पुनः परीक्षण करा जाय। साथ ही साथ उक्त व्यवस्था के मानकों को समय रहते पारदर्शी तरीके से समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं को सूचित भी करा जाय एवं जनसामान्य हेतु भी मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाय।

उपरोक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षों हेतु निम्नलिखित ग्रेडिंग एवं लक्ष्य आवंटन व्यवस्था बनायी जाती हैः-

1- ग्रेडिंग हेतु प्रशिक्षण प्रदाता का फरवरी की अन्तिम तिथि को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन में सूचीबद्ध (Empanel) होना अनिवार्य है तथा उसको आगामी वित्तीय वर्ष हेतु Debar/Blacklist की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। (समस्त सूची www.upsdm.gov.in पर उपलब्ध)

2- ग्रेडिंग हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाताओं के समस्त आँकड़ें माह फरवरी की अन्तिम तिथि को पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, उन्हें ही अन्तिम मानते हुए प्रयोग किया जायेगा। ग्रेडिंग की कार्यवाही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष हेतु की जायेगी। इस प्रकार माह मार्च में की गई ग्रेडिंग के आधार पर ही लक्ष्य आवंटन कार्यवाही माह अप्रैल से लागू होगी।

3- ग्रेडिंग में जिस आगामी वित्तीय वर्ष हेतु ग्रेडिंग की जा रही है, उसके 3 वित्तीय वर्षों के पूर्व का आंकलन किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2026-27 हेतु वर्ष 2026 के मार्च

में यह ग्रेडिंग की जायेगी तथा माह फरवरी के अन्तिम दिन तक के पोर्टल के आँकड़ें माने जायेंगे। वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 के स्कोर का औसत (Average) वर्ष 2026-27 की ग्रेडिंग हेतु लिया जायेगा।

4- वित्तीय वर्षवार ग्रेडिंग निम्नलिखित मानक के आधार पर की जायेगी-

वित्तीय वर्ष 2023-24

कुल लक्ष्य के सापेक्ष इनरोलमेंट का प्रतिशत			कुल इनरोलमेंट के सापेक्ष प्रशिक्षित (Trained) का प्रतिशत			कुल प्रशिक्षित (Trained) के सापेक्ष मूल्यांकित (Assessed) का प्रतिशत			कुल मूल्यांकित (Assessed) के सापेक्ष नियुक्ति (Appoint) का प्रतिशत			कुल नियुक्ति (Appoint) के सापेक्ष सेवायोजित (Placed) का प्रतिशत			पाठ्य सामग्री एवं वर्दी वितरण में डिफाल्टर (किसी भी बैच में)	
A			B			C			D			E			F	
90 % से अधिक	70-90 % तक	70 % से कम	90 % से अधिक	70-90 % तक	70 % से कम	90 % से अधिक	70-90 % तक	70 % से कम	90 % से अधिक	70-90 % तक	70% से कम	90% से अधिक	70-90 % तक	70% से कम	हां	नहीं
10 अंक	5 अंक	0 अंक	10 अंक	5 अंक	0 अंक	5 अंक	2 अंक	0 अंक	10 अंक	5 अंक	0 अंक	5 अंक	2 अंक	0 अंक	0 अंक	10 अंक
Total (1) = A+B+C+D+E+F																
X = Total (1)/5																

वित्तीय वर्ष 2024-25

कुल लक्ष्य के सापेक्ष इनरोलमेंट का प्रतिशत			कुल इनरोलमेंट के सापेक्ष प्रशिक्षित (Trained) का प्रतिशत			कुल प्रशिक्षित (Trained) के सापेक्ष मूल्यांकित (Assessed) का प्रतिशत			कुल मूल्यांकित (Assessed) के सापेक्ष नियुक्ति (Appoint) का प्रतिशत			कुल नियुक्ति (Appoint) के सापेक्ष सेवायोजित (Placed) का प्रतिशत			पाठ्य सामग्री एवं वर्दी वितरण में डिफाल्टर (किसी भी बैच में)	
A			B			C			D			E			F	
90 % से अधिक	70-90 % तक	70 % से कम	90 % से अधिक	70-90 % तक	70 % से कम	90 % से अधिक	70-90 % तक	70 % से कम	90 % से अधिक	70-90 % तक	70% से कम	90% से अधिक	70-90 % तक	70% से कम	हां	नहीं
10 अंक	5 अंक	0 अंक	10 अंक	5 अंक	0 अंक	5 अंक	2 अंक	0 अंक	10 अंक	5 अंक	0 अंक	5 अंक	2 अंक	0 अंक	0 अंक	10 अंक
Total (2) = A+B+C+D+E+F																
Y = Total (2)/5																

वित्तीय वर्ष 2025-26																	
कुल लक्ष्य के सापेक्ष इनरोलमेंट का प्रतिशत			कुल इनरोलमेंट के सापेक्ष प्रशिक्षित (Trained) का प्रतिशत			कुल प्रशिक्षित (Trained) के सापेक्ष मूल्यांकित (Assessed) का प्रतिशत			कुल मूल्यांकित (Assessed) के सापेक्ष नियुक्ति (Appoint) का प्रतिशत			कुल नियुक्ति (Appoint) के सापेक्ष सेवायोजित (Placed) का प्रतिशत			पाठ्य सामग्री एवं वर्दी वितरण में डिफाल्टर (किसी भी बैच में)	
A			B			C			D			E			F	
90 % से अधिक	70-90 % तक	70 % से कम	90 % से अधिक	70-90 % तक	70 % से कम	90 % से अधिक	70-90 % तक	70 % से कम	90 % से अधिक	70-90 % तक	70% से कम	90% से अधिक	70-90 % तक	70% से कम	हां	नहीं
10 अंक	5 अंक	0 अंक	10 अंक	5 अंक	0 अंक	5 अंक	2 अंक	0 अंक	10 अंक	5 अंक	0 अंक	5 अंक	2 अंक	0 अंक	0 अंक	10 अंक
Total (3) = A+B+C+D+E+F																
Z = Total (3)/5																

- जिन प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा केवल किसी एक वित्तीय वर्ष में कार्य किया है, उनका S=X या S=Y या S=Z
- जिन प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा केवल किसी दो वित्तीय वर्ष में कार्य किया है, उनका S=X+Y/2 या S=X+Z/2 या S=Y+Z/2
- जिन प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा तीनों वित्तीय वर्ष में कार्य किया है, उनका S=X+Y+Z/3

"S"				
8 के ऊपर स्कोर	7-8 के मध्य स्कोर	6-7 के मध्य स्कोर	5-6 के मध्य स्कोर	5 से कम स्कोर
A Category	B Category	C Category	D Category	E Category

5- लक्ष्य आवंटन के समय श्रेणी का ध्यान रखा जायेगा तथा अवरोही क्रम में प्रारम्भ करते हुए वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्त धनराशि के अनुसार ही लक्ष्य आवंटन किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाता के प्रत्येक केन्द्र में जितने बैच संचालन की क्षमता है, उसकी Geo Tagging आधारित कक्ष-वार रिपोर्ट माह मार्च में वार्षिक Due Diligence के दौरान वर्ष के DSDP के साथ सभी जनपदों से प्राप्त की जायेगी। किसी भी दशा में एक बार में आवंटित लक्ष्य केन्द्र की संचालन क्षमता से ज्यादा नहीं होगा। लक्ष्य आवंटन से पूर्व प्रशिक्षण प्रदाता की श्रेणी एवं केन्द्र की क्षमता के अतिरिक्त उसकी वांछित सेक्टर में अनुभव/दक्षता तथा DSDP में चिन्हित उस जनपद में उपलब्ध रोजगार के शीर्ष 5 सेक्टर के अनुरूप ही माँग का सेक्टर होना भी देखा जाना चाहिए।

6- लक्ष्य आवंटन में इण्डस्ट्रियल प्रशिक्षण प्रदाता (ITP) को वरीयता दी जाए। सर्वप्रथम आई0टी0पी0 की सूची के सापेक्ष उपरोक्त मानकों के अनुसार लक्ष्य आवंटन किया जाए। तदोपरान्त राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता (GTP) की सूची को उपरोक्त मानकों अनुसार लक्ष्य

आवंटन किया जाए। इसके उपरांत ही LPTP/Start-up की श्रेणी को लक्ष्य आवंटन किया जाए।

7- कार्यालय-आदेश संख्या- 557/कौ0वि0मि0/टी0पी0पी0/2025 दिनांक 14 अगस्त, 2025 में निर्धारित निम्नलिखित मानकों को पालन भी उक्त प्रशिक्षण के समय अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

क्र0 सं0	स्तर	कार्य विवरण	समय सीमा	कुल दिवस (संख्या)	किसके द्वारा
1	L0	लक्ष्य आवंटित किया जाना	0	-	उ0प्र0 कौशल विकास मिशन
2	L1	आवंटित लक्ष्यों को पोर्टल पर अपलोड किया जाना	L0 से 03 दिवस की अवधि में	03	-तदैव-
3	L2	प्रशिक्षण केन्द्र का चयन तथा टी0ओ0टी0 प्रमाणपत्र धारक प्रशिक्षकों की व्यवस्था करना	L0 से 20 दिवस की अवधि में	20	सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता
4	L3	प्रशिक्षण केन्द्र के निरीक्षण हेतु पोर्टल पर अनुरोध करना	L2 के 03 दिवस की अवधि में	23	-तदैव-
5	L4	प्रशिक्षण केन्द्र का भौतिक निरीक्षण करना तथा प्रशिक्षकों से साक्षात्कार	L3 से 03 दिवस की अवधि में	26	डी0पी0एम0यू0, सम्बन्धित जनपद
6	L5	प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा मोबिलाइजेशन व जागरूकता शिविरों का आयोजन	L0 से 45 दिवस की अवधि में	45	सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता
7	L6	प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षार्थियों व उनके अभिभावकों का उपबोधन प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अभिभावाकों के साथ उनकी सुविधानुसार स्थान का चयन करते हुए मोबिलाइजेशन जागरूकता बैठके आयोजित की जायेगी जिसमें कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारियां भाषण अथवा लघु फिल्मों के माध्यम से प्रदान की जायेगी जिसके साक्ष्य स्परूप न्यूनतम 04 फोटोग्राफ मिशन मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।	L5 के 10 दिवस की अवधि में	55	-तदैव-
8	L7	अर्ह व इच्छुक प्रशिक्षार्थियों के चयन का अंतिमीकरण	L6 के 10 दिवस की अवधि में	65	-तदैव-
9	L8	प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण एवं अभिभावक दिवस	L7 के 05 दिवस की अवधि में	70	-तदैव-
10	L9	बैच निर्माण कर अनुमोदन हेतु पोर्टल पर रिकवेस्ट अपलोड करना	L8 के 05 दिवस की अवधि में	75	-तदैव-
11	L10	बैच निर्माण कर पोर्टल पर बैच फ्रीज करना	L9 के 10 दिवस की अवधि में	85	-तदैव-
12	L11	बैच सत्यापन/अनुमोदन	L10 के 05 दिवस की अवधि में	90	डी0पी0एम0यू0, सम्बन्धित जनपद
		योग		**90 दिवस**	
13	L12	पाठ्यसामग्री का वितरण	L11 के पश्चात् 07 दिवस की अवधि में	-	सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता
		निःशुल्क वर्दी का वितरण	L11 के पश्चात् 04 सप्ताह (28 दिवस) की अवधि में		

क्र0 सं0	स्तर	कार्य विवरण	समय सीमा	कुल दिवस (संख्या)	किसके द्वारा
14	L13	बैच मूल्यांकन हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट अपलोड करना	बैच समाप्ति के 07 दिवस की अवधि में	-	-तदैव-
15	L14	रोजगार मेले का आयोजन	70% उपस्थिति पूर्ण करने वाले समस्त प्रशिक्षार्थियों के सेवायोजन हेतु प्रतिमाह रोजगार मेले का आयोजन	-	-तदैव-
16	L15	प्रशिक्षित एवं सफल मूल्यांकित प्रशिक्षार्थियों का सेवायोजन	मूल्यांकन/प्रमाणन की तिथि से 90 दिवस की अवधि में	-	-तदैव-
17	L16	सेवायोजित प्रशिक्षार्थियों का अनुसरण/अनुश्रवण	सेवायोजन की प्रारम्भिक तिथि से 365 दिवस अर्थात 1 वर्ष तक	-	-तदैव-

- अभिभावक दिवस पर सभी अंतिम रूप से पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों के अभिभावक को प्रशिक्षण केन्द्र पर बुलाकर उनको प्रशिक्षण एवं उपस्थिति के विषय में बताया जाएगा तथा उनके सुझाव लिए जायेंगे और उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। पोर्टल पर बैच निर्माण कर अनुमोदन हेतु रिक्वेस्ट के साथ अभिभावक दिवस की फोटो अनिवार्य है अन्यथा की दशा में Target निरस्त किया जाएगा।
- लक्ष्य आवंटन या L0 का दिन Orientation Workshop का दिन होगा जिसकी तिथि आपको अलग से सूचित होगी। इस दिन मिशन मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्रदाता की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही प्रशिक्षण प्रदाता को अपने आवंटित पाठ्यक्रम में उसकी शैक्षिक योग्यता/अनुभव तथा अवार्डिंग बॉडी द्वारा प्रदत्त टी0ओ0टी0 प्रमाण-पत्र (A/B Grade) वाले ट्रेनर की सूची/बायोडाटा, पिछले तीन वर्ष के Trained/Placed प्रशिक्षुओं के विवरण (नाम/अद्यतन मो0 नं0/कहाँ प्लेस) सहित उपस्थित होना होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाता का Orientation Workshop में विश्लेषण के पश्चात् 2025-26 के कोर्स संचालन सम्बन्धी अंतिम निर्णय होगा तथा 90 दिवस एवं उसके आगे के दिवस की सारणी में अंकित सीमाएँ प्रारम्भ होंगी।
- L0 से 24-26 दिन तक विशेष अभियान चलाकर प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण एवं प्रशिक्षकों का केन्द्र पर साक्षात्कार होगा। इसके वीडियो और GPS- Location वाले फोटोयुक्त आख्या मंगाकर मिशन टीम द्वारा परीक्षण किया जाएगा। तदानुसार विसंगति पाए जाने पर Target निरस्त किया जाएगा तथा सब उचित पाए जाने पर L5 की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार 90 दिन तक की निर्धारित गतिविधि का भी परीक्षण 90-95 दिवस के बीच मिशन टीम द्वारा किया जाएगा और विसंगति की दशा में Target निरस्त किया जाएगा।
- प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाइजेशन के दौरान मिशन के निर्धारित मानक के अनुसार 5% दिव्यागंजन तथा 33% महिलाओं को प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। इस हेतु जनपद के दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी से समन्वय स्थापित दिव्यांगजन प्रशिक्षणार्थियों का विवरण प्राप्त किया जाएगा।

- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के क्षेत्र/सेक्टर वाली Industry में भ्रमण कराना अनिवार्य होगा। इसकी फोटो Upload करनी होगी। दूसरी किश्त के लिये यह अनिवार्य होगा।
- केन्द्र का शुभारम्भ अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केन्द्र क्षेत्र के मा0 विधायकगण एवं जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला समन्वयक की मौजूदगी में ही होगा। इस हेतु प्रशिक्षण प्रदाता को मा0 विधायकगण से संपर्क कर, उन्हें सेक्टर एवं प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए, उनसे समय/तिथि का अनुरोध करना होगा। शुभारम्भ की फोटो उपलब्ध कराने पर बैच संचालन की अनुमति मिशन से पुनः प्राप्त करनी होगी।
- कार्यालय आदेश संख्या-638/उ.प्र.कौ.वि.मि./का0आ0-आई0टी0/2025-26 दिनांक 06.02.2026 का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए।
- लक्ष्य आवंटित संस्थाओं का Orientation Workshop मिशन में लक्ष्य आवंटन के उपरान्त 7 दिवस के अंदर कराया जाए जिससे प्रशिक्षण प्रदाताओं को समस्त जानकारी बेहतर तरीके से मिल सके तथा उनकी शंकाओं का समाधान हो सके।

(पुलकित खरे)
मिशन निदेशक

संख्या: 639 /उ.प्र.कौ.वि.मि./2025-26/ Camp Office, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त जिला समन्वयक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, उ0प्र0।
4. समस्त आबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, उ0प्र0।
5. प्रबन्धक (आई0टी0), को उक्त आदेश की प्रति यूपीएसडीएम पोर्टल पर अपलोड करने तथा माह फरवरी के अन्तिम दिन पोर्टल का डाटा संकलित कर ग्रेडिंग की कार्यवाही करने के आशय से प्रेषित।
6. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
7. गार्ड फाइल।

(पुलकित खरे)
मिशन निदेशक

प्रशिक्षण प्रदाताओं के मूल्यांकन का विवरण

क्र0 सं0	प्रशिक्षण प्रदाता श्रेणी	संख्या
1	निजी प्रशिक्षण प्रदाता	443
2	राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता	334
3	इण्डस्ट्रियल प्रशिक्षण प्रदाता	23
4	दिव्यांग प्रशिक्षण प्रदाता	34
5	एन0एस0डी0सी0 प्रशिक्षण प्रदाता	08
6	एस0एस0सी0 प्रशिक्षण प्रदाता	03
7	स्टार्ट-अप प्रशिक्षण प्रदाता (लक्ष्य आवंटित)	369
8	स्टार्ट-अप प्रशिक्षण प्रदाता (लक्ष्य आवंटित)	79
9	डी0डी0यू0-जी0के0वाई0 पी0आई0ए0	419
	योग	1712

वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में उक्त समस्त श्रेणियों में उल्लिखित कुल प्रशिक्षण प्रदाताओं में से 1028 को अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से सम्बन्धित लक्ष्य आवंटित किये गये हैं।

मूल्यांकन के आधार बिन्दु

वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में आवंटित समेकित लक्ष्य के अनुरुप प्रशिक्षण प्रदाताओं को 04 श्रेणियों में:

>= 2000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य
1000 से 1999 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य
500 से 999 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य
500 से कम अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य

लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों का प्रतिशत	प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों के सापेक्ष उत्तीर्ण का प्रतिशत	उत्तीर्ण के सापेक्ष नियुक्त का प्रतिशत	नियुक्त के सापेक्ष सेवायोजित का प्रतिशत	भारांक (10 के भार पर)
1	2	3	4	5
50 व उससे अधिक	75 व उससे अधिक	95 व उससे अधिक	70 व उससे अधिक	9.50
50 से कम व 45 तक	75 से कम व 70 तक	95 से कम व 90 तक	70 से कम व 65 तक	9.00
45 से कम व 40 तक	70 से कम व 65 तक	90 से कम व 85 तक	65 से कम व 60 तक	8.50
40 से कम व 35 तक	65 से कम व 60 तक	85 से कम व 80 तक	60 से कम व 55 तक	8.00
35 से कम व 30 तक	60 से कम व 55 तक	80 से कम व 75 तक	55 से कम व 50 तक	7.50
30 से कम व 25 तक	55 से कम व 50 तक	75 से कम व 70 तक	50 से कम व 45 तक	7.00
25 से कम व 20 तक	50 से कम व 45 तक	70 से कम व 65 तक	45 से कम व 40 तक	6.50
20 से कम व 10 तक	45 से कम व 35 तक	65 से कम व 55 तक	40 से कम व 30 तक	5.50
10 से कम	35 से कम	55 से कम	30 से कम	5.00

प्रशिक्षण प्रदाताओं के मूल्यांकन का विवरण

प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाता को कुल 40 भारांक पर एक स्कोर प्राप्त होगा, जिसके क्रम में निम्नानुसार ग्रेड ग्रेड प्रदान किये जायेंगे:-

Grade	Score Range
A	40 व उससे कम 36 तक का स्कोर अर्जित करने वाले प्रशिक्षण प्रदाता
B	36 से कम 30 तक का स्कोर अर्जित करने वाले प्रशिक्षण प्रदाता
C	30 से कम 25 तक का स्कोर अर्जित करने वाले प्रशिक्षण प्रदाता
D	25 से कम स्कोर अर्जित करने वाले प्रशिक्षण प्रदाता

प्रशिक्षण प्रदाताओं के मूल्यांकन का परिणाम

प्रशिक्षण प्रदाता श्रेणी	**प्रशिक्षण लक्ष्य**				**स्टार्ट-अप**
	2000 अथवा उससे अधिक	1000 से 1999	500 से 999	500 से कम	
A	08	02	03	08	14
B	07	06	08	11	05
C	12	06	08	07	02
D	63	90	84	336	348
योग	90	104	103	362	369

कुल 1028 मूल्यांकित प्रशिक्षण प्रदाताओं में से:-

35 (3.40%)-A 37 (3.60%)-B 35 (3.40%)-C

वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 की भुगतान प्रणाली पृथक-पृथक है तथा स्टार्ट-अप प्रशिक्षण प्रदाता 2023-24 में ही सम्मिलित हुये हैं, तो उनकी तुलना अन्य प्रकृति के प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ किया जाना उचित नहीं है।

समस्त श्रेणी में प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षार्थियों को नियुक्ति तो प्रदान कराई गई है किन्तु उनमें से कम द्वारा ही Join किया गया है अथवा 03 माह तक पूर्ण नहीं किया गया है।

निदेशालयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

परिसरः राजकीय आई0टी0आई0 अलीगंज लखनऊ

पत्रांक–638/उ.प्र.कौ.वि.मि./का0आ0–आई0टी0/2025–26 लखनऊ

दिनांक– 6 फरवरी, 2026

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पारदर्शिता, लक्ष्य आधारित निगरानी तथा प्रशासनिक नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित व्यवस्थाएँ तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने का निर्णय लिया जाता है:–

1. प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाता के प्रशिक्षण केन्द्र तथा उसकी क्षमता का अनुमोदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व गत् वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह (मार्च) में किया जाएगा। इसको पोर्टल पर तदोपरान्त फ्रीज किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा इसके बाद वर्ष में कभी भी प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता बढ़ाने/घटाने का अनुरोध जी0पी0एस0 फोटोग्राफ सहित पोर्टल पर किया जाएगा, जिसे आई0टी0 टीम द्वारा मिशन निदेशक के सम्मुख रखा जायेगा। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष में मात्र दो बार– माह जुलाई एवं माह दिसम्बर में अनुमन्य होगी। प्रशिक्षण केन्द्र क्षमता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मिशन निदेशक (MD) के अनुमोदनोपरान्त ही पोर्टल पर होगा।
2. प्रशिक्षण केन्द्र क्षमता से अधिक लक्ष्य आवंटन का अनुमोदन नही होगा तथा ऐसी अधिक रिक्वेस्ट पोर्टल द्वारा स्वतः निरस्त कर दी जाएगी।
3. प्रशिक्षण प्रदाता केवल आवंटित जिले एवं आवंटित सेक्टर में ही तथा केवल स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्र पर कैपेसिटी के अनुसार ही लक्ष्य आवंटन हेतु रिक्वेस्ट कर सकेगा।
4. टॉप–अप लक्ष्य हेतु वही प्रशिक्षण प्रदाता अर्ह होगें, जिन प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा समय सारिणी के मानको का अनुपालन पूर्ण करते हुए प्रशिक्षण कार्य कराया जायेगा।
5. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा टॉप–अप रिक्वेस्ट मूल लक्ष्यानुसार समय सारणी को मानते हुए बैच अवधि के समापन से 15 दिवस पूर्व ही की जा सकेगी। केवल मूल लक्ष्य प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों पर मूल लक्ष्य के सेक्टर में ही अधिकतम उतनी ही क्षमता का टॉप–अप संभव होगा, जो आगामी 15 दिवस में रिक्त होने वाली है।
6. प्रशिक्षण प्रदाताओं की श्रेणी का निर्धारण माह फरवरी के अंतिम दिवस तक के उनके पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। श्रेणी/कैटेगरी निर्धारण के मानक पोर्टल पर प्रदर्शित किये जायेंगे। कैटेगरी A, B, C, D एवं E के समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं की अद्यतन सूची को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। अन्तिम माह (मार्च) में प्रशिक्षण प्रदाताओं की कैटेगरी ग्रेडिंग निर्धारित नीति अनुसार प्रदर्शित की जाएगी, जिसके आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लक्ष्य आवंटन किया जा सके।

7. वित्तीय वर्ष 2025–26 से पूर्व के ऐसे समस्त प्रशिक्षण केन्द्र, जिनके असेसमेंट पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें यूपीएसडीएम पोर्टल से अनिवार्य रूप से क्लोजर किया जाए। यही मानक प्रत्येक चालू वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू होगा। प्रशिक्षण केन्द्रों के क्लोजर हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्रणाली यूपीएसडीएम पोर्टल पर विकसित की जाए।

8. 'Deemed Approval' एवं अधिकारियों का उत्तरदायित्वः–

* समय–सीमाः– पोर्टल पर बैच/प्रशिक्षण केन्द्र की अप्रूवल अवधि जिला समन्वयक (DC) स्तर हेतु 03 कार्यदिवस एवं MIS स्तर हेतु 05 कार्यदिवस निर्धारित किया जाता है। यदि जिला समन्वयक या MIS स्तर पर किसी प्रशिक्षण केन्द्र या बैच से सम्बन्धित अनुमोदन के प्रकरण में किसी प्रकार की आपत्ति अथवा निर्णय लिया जाता है तो उससे सम्बन्धित कारणों को पोर्टल पर पूर्व निर्धारित एवं मानकीकृत विकल्पों के माध्यम से अनिवार्य रूप से अभिलेखित किया जाए। साथ ही सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता को यह सुविधा दी जाती है कि उक्त कार्यवाही प्रशिक्षण प्रदाता के लॉगिन में भी प्रदर्शित होगी।

* निर्धारित अवधि में निर्णय न लेने पर पोर्टल 'Deemed Approval' (स्वतः अनुमोदन) प्रदान कर देगा। इस प्रकार के समस्त Deemed Approval प्रशिक्षण केन्द्रों को पत्रावली पर मिशन निदेशक के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उनका विशेष अभियान चलवाकर एक कार्य दिवस में सत्यापन कराया जाएगा।

* जवाबदेहीः– यदि किसी अधिकारी के 33% से अधिक प्रकरण 'Deemed' श्रेणी में जाते हैं, तो इसे कर्तव्य में घोर लापरवाही मानते हुए पद से हटाने/अनुबंध समाप्ति/प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्यवाही पोर्टल रिपोर्ट के आधार पर स्वतः प्रभावी मानी जाएगी। इसको MD के सम्मुख अनुमोदन हेतु रखने के लिए आई0टी0 प्रकोष्ठ (प्रभारी सहायक निदेशक–आई0टी0) उत्तरदायी होगें।

9. यूपीएसडीएम द्वारा डीबार/डी–इम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्ट किए गए समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची को पृथक रूप से पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

10. यूपीएसडीएम पोर्टल पर डीबार/डी–इम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्ट मॉड्यूल का निर्माण किया जाएगा, जिससे संबंधित कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन, पारदर्शी एवं ट्रैकेबल रूप से संपादित की जा सके।

11. पोर्टल पर प्रशिक्षण लक्ष्य को अपलोड करते समय ही प्रशिक्षण लक्ष्य आवासीय/अनावासीय है तथा पारंपरिक/न्यू एज है, इसका विकल्प प्रदर्शित किया जाएगा।

12. प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षणरत बैचों में कतिपय प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा डीपीएमयू कार्यालय को बिना सूचित किये प्रशिक्षण अवधि के दौरान ट्रेनर को बदल दिया जाता है। अतः पोर्टल पर डीपीएमयू द्वारा ट्रेनर की DSC के माध्यम से Approval की व्यवस्था सुनिश्चत की जाए। इसकी रिपोर्ट मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक तथा आई0टी0 प्रकोष्ठ के लॉग–इन में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए। मासिक

निरीक्षण/वीडियो वॉल इत्यादि माध्यम से यदि इसके प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल प्रथम बार में प्रशिक्षण लागत की 10 प्रतिशत पेनाल्टी तथा द्वितीय मौके पर अगले वित्तीय वर्ष हेतु डिबार की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

13. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा बैच निर्माण के समय ट्रेनर की टी0ओ0टी0 की वैधता अवधि दर्ज की जायेगी। यदि ट्रेनर की वैधता बैच की प्रशिक्षण अवधि में समाप्त होती है तो प्रशिक्षण प्रदाता तथा आई0टी0 टीम मिशन के लिए उक्त की सूचना 15 दिवस पूर्व ही पोर्टल पर Auto Generate हो जायेगी। प्रशिक्षण प्रदाता को उक्त 15 दिवस के अंदर ही वैकल्पिक वैध टी0ओ0टी0 ट्रेनर की अद्यतन सूचना पोर्टल पर दर्ज करना होगा या मौजूदा ट्रेनर का टी0ओ0टी0 नवीनीकरण कराना होगा। बैध टी0ओ0टी0 सत्यापित ट्रेनर बैच में न होने पर सम्बन्धित बैच का भुगतान टी0ओ0टी0 ट्रेनर की अनुपस्थिति दिवसो का नही किया जायेगा। प्रत्येक बैच में पंजीकृत ट्रेनर की उपस्थिति प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के भांति ही 70 प्रतिशत अनिवार्य है। मासिक निरीक्षण/वीडियो वॉल इत्यादि माध्यम से यदि इसके प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल प्रथम बार में प्रशिक्षण लागत की 10 प्रतिशत पेनाल्टी तथा द्वितीय मौके पर अगले वित्तीय वर्ष हेतु डिबार की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

14. बैच अनुमोदन का प्रमाणपत्र प्रोफार्मा (C) तथा मूल्यांकन की पुष्टि का प्रमाण पत्र प्रोफार्मा (H) में सम्बन्धित सेक्टर एवं जॉबरोल की कॉमन कास्ट नार्मस की वित्तीय कैटेगरी एवं दर अंकित की जाए।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व आई0टी0 टीम का होगा। कार्यदिवसों में अवगत कराये तथा उपरोक्त आदेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अनुमोदनोपरान्त ही किया जा सकेगा।

(पुलकित खरे)
मिशन निदेशक

पत्रांक– 638 /उ.प्र.कौ.वि.मि./का0आ0–आई0टी0/2025–26 लखनऊ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
3. समस्त प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
4. गार्ड फाइल।

(पुलकित खरे)
मिशन निदेशक